न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री कमल सिंह प्लॉट नम्बर 58,59 गणेश नगर 2 सी, स्वेज फार्म, रामनगर विस्तार सोडाला जयपुर।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :– 154/2025

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>
19.11.2025</td><td>–: निर्णय :–

1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित।

2. अपीलार्थी ने ऑनलाईन आवेदन–पत्र दिनांक 17.09.2025 से अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील ऑनलाईन क्रमांक 249366713693772 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 2264 दिनांक 18–11–2025 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना/जवाब तहसीलदार भीलवाडा के पत्र क्रमांक 3428 दिनांक 21.10.2025 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा</td><td></td></tr>
</table>